न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 40/2023

(GCMS 2023/161, RTI No. 212837096087550)

संतलाल पुत्र हीरालाल बिश्नोई, निवासी 21 केएनडी, तहसील रावला जिलाअनूपगढ

बनाम

प्रबंध निदेशक, दी गंगानगर केन्द्रीय बैंक लिमिटेड, श्रीगंगानगर

11.12.2023

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री संतलाल स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 11.08.2023 से बारह बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी पर अधिनियम के प्रावधानों के तहत उचित कार्यवाही करते हुए, वांछित सूचना उपलब्ध करवाने के लिए यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री संतलाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 11.08.2023 के द्वारा दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., श्रीगंगानगर से निम्न बारह बिन्दुओं की सूचना चाही थी:

1. समिति में कुल सदस्यों की सूची
2. दीर्घकालीन एवं अल्पकाली ऋण की अलग–अलग संख्या
3. अल्पकालीन ऋणी सदस्यों में तीन लाख रूपये से अधिक सदस्यों के नाम व प्रमाणित प्र...
4. ऋणी सदस्य की मृत्यु के बाद ... किए सदस्यों के नाम प्रमाणित सूची

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.01.01 16:03:35 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

5. मृत्यु के बाद सदस्य को दिए ऋण की राशि तथा सदस्यों की प्रमाणित सूची
6. समिति में कृषि यंत्रों को किन–किन समिति सदस्यों को अब तक उपलब्ध करवाने से अब तक की प्रमाणित प्रतिलिपि।
7. समिति का लेखा जोखा एवं बोनस वितरण की बैठक की तिथि की प्रमाणित प्रति।
8. समिति द्वारा खरीदे कृषि यंत्र की अलग–अलग तथा अब तक यंत्र के बारे में प्रमाणित सूची
9. समिति द्वारा सदस्यों को कारोबार के लिए एक लाख रूपये या इससे अधिक सदस्यों के नाम सहित प्रमाणित सूची।
10. एक लाख या इससे अधिक ऋणदाता से अब तक की वसूली नाम सहित एवं ऋणदाता के गारंटर की प्रमाणित सूची।
11. समिति के द्वारा दिए गए हिस्सा राशि में आय–व्यय की बचत प्रमाणित सूची
12. मिनि बैंक के खाते में बचत रूपये की प्रमाणित सूची।

प्रबन्ध निदेशक, दी केन्द्रीय सहकारी बैंक, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 48650 दिनांक 16.09.2023 से अपीलार्थी ने अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

> उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि संतलाल निवासी 21 केएनडी, वीपीओ खानूवाली तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर के द्वारा उनके आवेदन पत्र दिनांक 05.08.2023 के क्रम में प्रथम अपील आपके समक्ष सूचना अधिकार अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था, जिस पर बैंक द्वारा दिनांक 11.08.2023 को बैंक सूचना अधिकार अन्तर्गत प्राधिकृत संस्था नहीं है, अंकित करते हुए वापिस सूचित किया गया था। श्री संतलाल द्वारा प्रस्तुत अपील के संबंध में वस्तुस्थिति निम्न प्रकार से है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.01.01 16:03:35 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

 अपील सूचना अधिकार संख्या 40/2023

1. दी गंगानगर केन्द्रीय सहाकारी बैंक लि., श्रीगंगानगर सहाकारी संस्था अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत सहकारी समिति/बैंक है।
2. बैंक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(h)के तहत लोक प्राधिकारी की परिभाषा में वर्गीकृत एवं उल्लेखित संस्थान नहीं है।
3. राज्य सूचना आयोग, जयपुर द्वारा अपील संख्या 2535/2012 में दिनांक 21.10.2013, अपील संख्या 5554/2012 में दिनांक 21.08.2014, अपील संख्या 5556/2012 में पारित निर्णय दिनांक 21.08.2014 एवं अपील संख्या CIC/SGNG/A/2020/ 100540 में पारित निर्णय दिनांक 20.11.2020 में अंकित किया है कि केन्द्रीय सहकारी बैंक लोक प्राधिकारी की परिभाषा में नहीं आता है और सूचना देने के लिए दायित्वबद्ध भी नहीं है।
4. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर द्वारा सूचना का अधिकार अन्तर्गत प्रथम अपील संख्या 03/2019 अनवानी राधेश्याम गोयल बनाम बैंक मे निर्णय दिनांक 29.07.2019 एवं अपील सूचना का अधिकार संख्या 158/2020 अनवानी जसविन्द्र सिंह बनाम बैंक में निर्णय दिनांक 01.02.2021 में बैंक को सूचना देने हेतु दायित्वबद्ध नहीं माना जाकर अपीलार्थियों की अपील खारिज की गयी है।
5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के द्वारा तालपालम सर्विस को–ऑपरेटिव बैंक बनाम केरल सरकार एवं अन्य में सहकारी

अतः उपरोक्त तथ्यों के अलोक में निवेदन है कि उपरोक्तानुसार वर्णित निर्णयों(प्रतियां संलग्न) में दिये गये कारणों एवं कानूनी बिन्दुओं के दृष्टिगत अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rath
Date: 2024.01.01 16:03:35 IST
Reason: SelfAttested

-sd-
(संजय गर्ग)
प्रबन्ध निदेशक

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया और प्रार्थी के अपील पत्र एवं अपील पत्र पर प्रबन्धक निदेशक द्वारा दिनांक 16.09.2023 को प्रस्तुत जवाब एवं उसके साथ प्रस्तुत राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर की अपील संख्या **2535/2012** अनवान मनीष शर्मा बनाम बनाम लो.सू.अ. एवं राजस्थान राज्य को–ऑपरेटिव बैंक लि., जयपुर, में पारित निर्णय दिनांक 21.10.2013, अपील संख्या 5556/2012 अनवान् राधेश्याम गोयल बनाम राज्य लोक सूचना अधिकारी, प्रबन्ध निदेशक, श्रीगंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., श्रीगंगागनर में पारित निर्णय दिनांक 21.08.2014, अपील संख्या 5554/2012 अनवान् राधेश्याम गोयल बनाम राज्य लोक सूचना अधिकारी, प्रबन्ध निदेशक, श्रीगंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., श्रीगंगागनर में पारित निर्णय दिनांक 21.08.2014, अपील संख्या CIC/SGNG/A/2020/100540 अनवान् राधेश्याम गोयल बनाम राज्य लोक सूचना अधिकारी, प्रबन्ध निदेशक, श्रीगंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., श्रीगंगागनर में पारित निर्णय दिनांक 20.11.2020 का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तो पाया **कि माननीय सूचना आयोग ने उक्त अपील खारिज करते हुए दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., श्रीगंगानगर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक प्राधिकरण नहीं माना और सूचना देने के लिए दायित्वबद्ध भी नहीं माना।**

माननीय राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर के अपील संख्या 5554/2012 व 5556/2012 एवं 2020/100540 राधेश्याम गोयल बनाम राज्य लोक सूचना अधिकारी, प्रबन्ध निदेशक, श्रीगंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., श्रीगंगागनर में दिनांक 21.08.2014 एवं 20.11.20[illegible] निर्णय पारित किये गये है। फिर भी अपील संख्या 5554/20[illegible] 21.08.2014 अविकल रूप से निम्न प्रकार से है :

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.01.01 16:03:35 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

अपील संख्या – 5554/2012

श्री राधेश्याम गोयल बनाम राज्य लोक सूचना अधिकारी
23 के ब्लॉक प्रबन्ध निदेशक
श्रीगंगानगर (राज.) श्रीगंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.,
श्रीगंगानगर (राज.)

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यार्थी पक्ष की ओर से श्री राजकुमार कुश्वाह उपस्थित।
3. मैने प्रत्यार्थी पक्ष को सुना और पत्रावली का अवलोकन किया।
4. प्रत्यर्थी पक्ष ने अपीलोत्तर दिनांक 02.07.2013 के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि अपीलार्थी को दिनांक 30.06.2012 के पत्र से समस्त सूचना उपलब्ध करा दी गई थी।
5. दिनांक 31.05.2012 के आवेदन के संदर्भ में दिनांक 30.06.2012 के सूचना प्रेषण के उपरान्त आयोग स्तर पर अपील करना स्पष्ट करता है कि **अपीलार्थी का उद्देश्य सूचना लेने से कुछ इतर है, जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।**
6. यह भी उल्लेखनीय है कि सूचना श्रीगंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड से ली जा रही है जो कि **माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तलापल्लम सर्विस कॉपरेटिव बैंक विरूद्ध केरल सरकार निर्णय में केन्द्रीय सहकारी बैंक को लोक प्राधिकारी की परिभाषा में नहीं माना है और सूचना देने के लिए दायित्वबद्ध भी नहीं है।** ऐसे निर्णय पूर्व में भी आयेाग ने किये है जिनमें से एक **निर्णय अनिल कुमार सिसोदिया बनाम सचिव, भूमि विकास बैंक लिमिटेड, अपील संख्या 3409/2012 दिनांक 25.11.2013 को उल्लेख करना मैं उचित समझता हूँ।**
7. उपरोक्त विवेचन के आलोक में वर्तमान अपील स्वीकार योग्य नहीं रहती है।
8. अस्तु वर्तमान अपील को खारिज किया जाता है।
9. आदेश की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.01.01 16:03:35 IST
Reason: SelfAttested

–sd–
(टी. श्रीनिवासन)
मुख्य सूचना आयुक्त

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि पूर्व में दी गंगागनर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., श्रीगंगागनर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत वांछित सूचनाओं के क्रम में माननीय राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर में उसके द्वारा प्रस्तुत की गई उक्त अपीलें 5554/2012, 5556/2012 एवं 2020/100540 राधेश्याम गोयल बनाम दी केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., श्रीगंगानगर में माननीय आयोग द्वारा पारित निर्णयों दिनांक 21.08.2014 एवं 20.11.2020 के **परिपेक्ष में उक्त बैंक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक प्राधिकरण नहीं है और ऐसी दशा में उक्त सूचनाएं उपलब्ध करवाने के लिए उक्त बैंक दायित्वबद्ध भी नहीं है। इस आधार पर अपीलार्थी संतलाल, दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., श्रीगंगानगर से किसी प्रकार से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने का हकदार नहीं है। इसलिए अप्रार्थी को बैंक द्वारा दिया गया उत्तर दिनांक 11.08.2023 विधिसम्मत है और उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्कता नहीं है। अतः प्रार्थी की अपील इसी आधार पर खारिज करने योग्य है।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.01.01 16:03:35 IST
Reason: SelfAttested

(अंशदीप)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर